भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1411

दिनांक 03.05.2016/13 वैशाख, 1938 (शक) को उत्तर के लिए

अनुसंधान परियोजना

†1411. श्री के. अशोक कुमारः

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो ने पुलिसिंग से संबंधित अध्येतावृत्ति देने और अनुसंधान परियोजनाओं के पैटर्न में परिवर्तन का सुझाव दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या बी.पी.आर. एवं डी. निधियां देने और आई.आई.टी. और आई.आई.एम. सहित विश्वविद्यालयों और अन्य प्रमुख संस्थाओं के अनुसंधान के विषयों के लिए स्वयं को अपनी सीमा में रखना चाहती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या बी.पी.आर. एवं डी. ने बड़ी परियोजनाओं हेतु शोध अनुदानों को देने के लिए चक्रानुक्रम आधार पर केन्द्रीय गृह सचिव, बी.पी.आर. एवं डी. के महानिदेशक तथा पुलिस महानिदेशक वाली समिति के गठन का भी सुझाव दिया है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री किरेन रिजिजू)

(क) और (ख): जी, हां। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बी पी आर एंड डी) की ओर से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की फेलोशिप की तर्ज पर अपराध विज्ञान एवं पुलिस विज्ञान में फेलोशिप में सुधार करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और इसका मूल्यांकन किया जा रहा है।

बी.पी.आर. एंड डी. ने ऐसे कार्यक्रमों के लिए केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, आई.आई.टी., आई.आई.एम. और प्रतिष्ठित संस्थानों को भी इसमें शामिल करने का प्रस्ताव दिया है।

(ग): जी , हां। इस प्रस्ताव की जांच की जा रही है।

(घ): प्रश्न नहीं उठ ता है।